नईदुनिया

यमन से दागी गई मिसाइल, इजराइल ने सीमा क्षेत्र में घुसने से पहले मार गिराने का दावा किया

तेल अवीव

गाजा पट्टी में सैन्य मुहिम चला रहे इजराइल के खिलाफ हमास और हिज्बुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के बाद ईरान समर्थित हूती भी इस फेहरिस्त में शामिल हो गया है।

सोमवार को यमन से इजराइल में लंबी दूरी की बैलिस्टक मिसाइल दागी गई जिसका मलबा मध्य इजराइल में गिरा।इस मिसाइल को इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक लिया गया।

इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के हवाले से बताया है कि सोमवार देर रात यमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई जिसे इजराइली हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक लिया गया। रात 11 बजे के बाद प्रोटोकॉल के तहत देश में आपातकालीन साइरन बजाया गया। मिसाइल के मलबे गिरने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। सेना ने दावा किया है कि दो सप्ताह के भी कम समय में यह सातवां रात्रिकालीन हमला है।

गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हूती ने इजराइल पर हमले की बात कही है। उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने बर्बर हमला किया था जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए। जिसके बाद 8 अक्टूबर 2023 से इजरायल ने हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू कर दिया। इजराइल के सैन्य अभियान में 45 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान इजराइल हमास आतंकियों के साथ-साथ हिज्बुल्लाह के खिलाफ भी लेबनान सहित अन्य देशों में कार्रवाई कर रहा है।

न्यूज ब्रीफ

मार्शल लॉ लगाने के मामले में दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति के नाम अरेस्ट वारंट जारी

सियोल। दक्षिण कोरिया की अदालत ने निलंबित राष्ट्रपति यूं सुक येओल के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दे दी है। येओल के लिए गिरफ्तारी और तलाशी वारंट मंगलवार सुबह जारी किया गया। येओल पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के फैसले को लेकर महाभियोग लगाया गया था और उन्हें सत्ता से निलंबित कर दिया गया था। सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने निलंबित राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ वारंट को मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए जारी किया गया यह पहला गिरफ्तारी वारंट है। उल्लखनीय है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने 3 दिसंबर की रात नाटकीय घटनाक्रम में देश में मार्शल लॉ की घोषणा की थी। मार्शल लॉ लागू करने को लेकर उन्होने दावा किया था कि वह दक्षिण कोरिया को देश-विरोधी ताक़तों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर देश विरोधी ताकतों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हुए मार्शल लॉ को जरूरी बताया था। हालांकि व्यापक विरोध और दबाव के बाद इसे वापस ले लिया गया। जिसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया और सत्ता से निलंबित कर दिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। साल 1987 में दक्षिण कोरिया के संसदीय लोकतंत्र बनने के बाद कभी यहां मार्शल लॉ नहीं लगा था लेकिन राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने इसे लागू करने की कोशिश की।

एच-1बी वीजा में हिस्सेदारी कम थी, लेकिन भारतीय अमेरिकी समुदाय का आर्थिक योगदान मजबूत

वाशिंगटन। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर ईलॉन मस्क का समर्थन

किया है, लेकिन उनके पहले कार्यकाल के दौरान एच-1बी वीजा पर कुछ बदलाव हुए, जिनसे भारतीय नागरिकों की वीजा प्राप्ति पर असर पड़ा। एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों से कुशल विशेषज्ञों को भर्ती करने की अनुमति देता है। विशेषकर तकनीकी कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों कर्मचारियों को अपने यहां लाने के लिए एच-1बी वीजा पर निर्भर रहती हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय का आर्थिक योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अमेरिकी समुदाय हर साल लगभग 300 अरब डॉलर का योगदान फेडरल कर राजस्व में देता है। इसके अलावा, भारतीय अमेरिकी नागरिकों की व्यय क्षमता भी 370 से 460 अरब डॉलर के बीच है, जो सेल्स टैक्स, कारोबारी निवेश और रोजगार पैदा करने में मदद करता है। भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जहां भारत के लगभग 2,70,000 छात्र वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 1.5 प्रतिशत है, लेकिन यह समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद प्रभावशाली है और अमेरिकी समाज की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2017 में एच-1बी वीजा प्राप्त करने वालों में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी 72.1 प्रतिशत थी, जो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान 2019 में घटकर 69.93 प्रतिशत हो गई। हालांकि, कोविड महामारी के दौरान 2020 में वीजा प्राप्त करने वालों की संख्या फिर बढ़ी और यह आंकड़ा 75.66 प्रतिशत तक पहुंच गया। राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में, वित्त वर्ष 2022 में एच-1बी वीजा में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़कर 80.71 प्रतिशत तक पहुंची, हालांकि 2023 में इसमें मामूली गिरावट आई और यह 77.73 प्रतिशत पर दर्ज की गई। भारत से एच-1बी वीजा आवेदन स्वीकृत होने की संख्या में भी कमी आई थी।

डुरंड लाइन पर तनावः पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर झड़पों से बढ़ा विवाद

इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर जारी तनाव अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सीमा पर हुए हालिया संघर्ष ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया है। शनिवार को हुए भीषण संघर्ष में 19 पाकिस्तानी सैनिक और तीन अफगान नागरिकों की मौत हो गई। इस झड़प ने डुरंड लाइन विवाद को फिर से उभरने की आशंका बढ़ा दी है। रूस ने इस तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि मॉस्को दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने का आग्रह करता है। वहीं अफगान मीडिया के मुताबिक, तालिबान ने दावा किया है कि यह हमला हाल ही में अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों का जवाब था।

हेलरी क्लिंटन की भविष्यवाणी सच हुई, आतंक का पनाहगार पाक खुद त्रस्त

इस्लामाबाद

पाकिस्तान आर्मी और सुरक्षाबलों के लिए 10 साल में सबसे घातक रहा 2024- सीआरएसएस की रिपोर्ट

आतंक को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान को चेतावनी देने वाली अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की यह भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं, वह एक दिन उसे ही काट खाता है। पाकिस्तान में आतंकी हमले व हिंसा की घटनाओं और इनमें मरने वालों की संख्या के मामले में मौजूदा साल 2024 बदतरीन साबित हुआ है।पिछले 9 साल के मुकाबले साल 2024 में ऐसी घटनाएं सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे हमलों में आम नागरिकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में सुरक्षाबल के जवान और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इन घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित खैबरपख्तून (केपी) और दूसरे स्थान पर बलूचिस्तान है।इन आंकड़ों ने पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में उठ रहे बगावत के स्वर और उनके सामने कमजोर पड़ती सुरक्षा व्यवस्था को उजागर किया है। रिपोर्ट में सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (सीआरएसएस) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि साल 2024 में पाकिस्तान में 1166 आतंकी हमलों व हमलावरों के खिलाफ अभियान से जुड़े मामलों के दौरान 2546 मौतें हुईं और 2267 लोग घायल हुए। इनमें नागरिक, सुरक्षाकर्मी और हमलावर शामिल हैं। देशभर में हुई कुल मौतों में से 94 प्रतिशत और कुल घटनाओं में से 89 प्रतिशत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुईं। साल 2024 में पाकिस्तान में 444 आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों के कम-से-कम 685 जवानों की मौत हुई है। हमलों में हुई कुल मौत में सुरक्षा बल जवानों की मौत का आंकड़ा करीब 63 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ऐसी 2546 घटनाएं हुईं, जिसमें 2267 घायल हुए। इस साल हुई मौतें पिछले नौ सालों में सबसे ज्यादा रहीं। साल के अन्य महीनों की मुकाबले नवंबर सबसे घातक महीने के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें औसतन प्रतिदिन लगभग 7 लोगों की जान चली गई। आतंकी और हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं और उसमें मरने वालों की संख्या के मामले में खैबर पख्तूनख्वा (1,616 मौतें) अव्वल है जबकि बलूचिस्तान (782 मौतें) का स्थान रहा। हिंसा और आतंकी घटनाओं में सबसे ज्यादा मौत खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान की सीमा से लगे जिलों- कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान, खैबर में दर्ज की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान, बन्नू और लक्की मारवत में भी लगातार हिंसा और मौतें हुईं। इन जिलों के बाद बलूचिस्तान के क्वेटा, केच, कलात और मुसाखेल जिले आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा व आतंकी घटनाओं में पिछले छह साल तक आई गिरावट 2021 के बाद से लगातार बढ़ रही है। साल 2021 के बाद से हिंसा में फिर से बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, जो 2024 में सर्वाधिक हो गई।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 9 जनवरी को डीसी में होगा अंतिम संस्कार

वाशिंगटन

ट्रंप ने कहा-कार्टर ने जिन चुनौतियों का सामना किया, वह देश के लिए अहम समय था

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का अंतिम संस्कार 9 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में किया जाएगा। अंतिम संस्कार का दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति कार्टर के लिए एक श्रद्धांजलि भाषण दे सकते हैं। कार्टर के सम्मान में 9 जनवरी को संघीय कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि शोक दिवस के मौके पर 9 जनवरी को कोर्ट भी बंद रहेगा। कार्टर का रविवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया था। कार्टर को सम्मानित करने वाली सेवाएं 4 जनवरी से शुरू होंगी। इसमें जॉर्जिया में उनके बचपन के घर और पारिवारिक फार्म पर पार्थिव देह ले जाई जाएगी। फिर जॉर्जिया स्टेट कैपिटल में रखा जाएगा। वाशिंगटन, डीसी जाने से पहले, कार्टर का शव 7 जनवरी तक अटलांटा के कार्टर प्रेसिडेंशियल सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर यूएस नेवी मेमोरियल और फिर यूएस कैपिटल ले जाया जाएगा। कैपिटल पहुंचने पर 7 जनवरी को कांग्रेस के सदस्य दिवंगत राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई 9 जनवरी को सुबह 10 बजे नेशनल कैथेड्रल में दी जाएगी। सांसदों ने एक संयुक्त बयान में कह कि राष्ट्र के प्रति राष्ट्रपति कार्टर की लंबी और विशिष्ट सेवा को सम्मानित करते हुए उनके अवशेषों को संयुक्त राज्य कैपिटल के रोटुंडा में रखा जाए ताकि अमेरिकी जनता को भी राष्ट्रपति कार्टर को अंतिम विदाई देने का मौका मिल सके। रविवार को ट्रुथ सोशल पर अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कार्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा- राष्ट्रपति के रूप में जिमी कार्टर ने जिन चुनौतियों का सामना किया, वह हमारे देश के लिए एक अहम समय था और उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की। उन्होंने हमेशा अमेरिकियों के लिए काम किया। ट्रंप ने कहा कि इसलिए हम सभी उनके आभारी हैं। कार्टर को 2002 में उनके वैश्विक मानवाधिकार कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उनके दशकों तक किए गए कठिन प्रयास भी शामिल थे।

अज्ञात स्थल पर युक्रेनी युद्ध बंदियों को छोड़ा

यूक्रेन में रुसी हमले के बीच ही एक अज्ञात स्थल पर युक्रेनी युद्ध बंदियों को छोड़ा गया। ये सभी इस दौरान यूक्रेनी झंडे में नजर आये।

शपथ लेने से पहले ट्रंप को झटका, यौन शोषण मामले में कोर्ट ने नहीं दी राहत

कोर्ट ने अपील की खारिज, 50 लाख अमेरिकी डॉलर के हर्जाने को रखा बरकरार

वॉशिंगटन

अमेरिकी की अपीलीय अदालत ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ट्रंप की अपील को खारिज करते हुए फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें ट्रंप को लेखिका कैरोल के यौन शोषण और मानहानि के लिए 5 मिलियन डॉलर देने का आदेश दिया गया था। यह मामला 1996 में मैनहट्टन के डिपार्टमेंटल स्टोर में हुई घटना से जुड़ा है। जूरी ने पिछले साल मुकदमे के बाद ट्रंप को दोषी माना था और आदेश दिया था। इसके खिलाफ ट्रंप ने अपील की थी लेकिन उनकी अर्जी अब खारिज कर दी गई है। ट्रंप के खिलाफ ये फैसला ऐसे समय आया है, जब वह दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। अमेरिकी सर्किट अपीली अदालत ने फैसले में जीन कैरोल के मानहानि और यौन शोषण के लिए मैनहटन के जूरी की ओर से ट्रंप पर लगाए गए 50 लाख अमेरिकी डॉलर के हर्जाने को बरकरार रखा है।

कैरोल ने 2023 के एक मुकदमे में गवाही दी थी कि 1996 में एक दोस्ताना मुलाकात में ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया था, जब वे अचानक स्टोर के ड्रेसिंग रूम में घुस गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि इस तरह की कोई घटना हुई, लेकिन अदालत से लगातार उन्हें झटके लग रहे हैं। कैरोल, एक पत्रिका की स्तंभकार रही है। उनके यौन शोषण के लिए ट्रंप को 2 मिलियन डॉलर और मानहानि के लिए 3 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश अदालत ने दिया है।

ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा कि यौन शोषण और मानहानि के मामले में 5 मिलियन डॉलर के हर्जाने के खिलाफ आगे अपील करेंगे। चेउंग ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी लोगों ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति ट्रम्प को फिर चुना है। वे हमारी न्याय प्रणाली के राजनीतिक हथियारीकरण को तत्काल खत्म और सभी विच हंट्स को तुरंत खारिज करने की मांग करते हैं।

भारत पर लगा मुइज्जू को हटाने की साजिश का आरोप, नशीद ने किया बचाव

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा- भारत हमेशा मालदीव के लोकतंत्र का समर्थक रहा है

माले

अमेरिकी में एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है मालदीव की विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के नेताओं ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को हटाने की साजिश के लिए भारत से 6 मिलियन डॉलर की मदद मांगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक एजेंट मालदीव के विपक्षी नेताओं के संपर्क में था ताकि मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें सत्ता से हटाया जा सके। इन आरोपों पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत के समर्थन में आ गए हैं। मोहम्मद नशीद ने कहा कि भारत हमेशा मालदीव के लोकतंत्र का समर्थक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिन्युअल इनिशिएटिव नामक एक आंतरिक दस्तावेज में विपक्षी नेताओं ने 40 सांसदों को रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें मुइज्जू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी शामिल थे, ताकि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न पार्टियों को भुगतान करने के लिए साजिशकर्ताओं ने 6 मिलियन डॉलर की मांग की जो भारत से जुटाए जाने की बात कही गई। रिपोर्ट में दावे के मुताबिक अमेरिका में भारतीय दूतावास में रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शिरीष थोरेट और पत्रकार-राजनेता सवियो रोड्रिग्स के साथ मिलकर मुइज्जू को हटाने की चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक थोरेट और रोड्रिग्स ने योजना की पुष्टि की, लेकिन यह नहीं बताया कि वे भारत सरकार की ओर से काम कर रहे थे या नहीं। भारत की तरफ से इसपर कोई टिप्पणी नहीं आई है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट में लिखा- मुझे राष्ट्रपति के खिलाफ किसी गंभीर साजिश की जानकारी नहीं थी; हालांकि कुछ लोग हमेशा षड्यंत्र की दुनिया में जीते हैं। भारत कभी भी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि वे हमेशा मालदीव के लोकतंत्र का समर्थन करता है। भारत ने कभी भी हम पर शर्तें नहीं थोपी है।

बेटे ने मां की दूसरी शादी करवाकर पेश की नई मिसाल

इस्लामाबाद। वैसे तो पाकिस्तान से आतंक और दहशत भरी खबरें आतीं हैं लेकिन ये खबर प्रेरणादायक है। जिसमें एक बेटे ने अपनी मां को प्यार और जीवन में दूसरा मौका देकर समाज में नई सोच की मिसाल कायम की। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस कहानी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। अब्दुल अहद नाम के युवक ने अपनी मां की दूसरी शादी में अहम भूमिका निभाई और उनके सुखद भविष्य के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब्दुल ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ बिताए अनमोल पलों को दिखाया। वीडियो में उनके निकाह समारोह की क्लिप भी शामिल थी। अब्दुल ने वीडियो में कहा, पिछले 18 सालों में मैंने अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें एक बेहतर जीवन देने की कोशिश की। उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। लेकिन आखिरकार, वह अपने शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन की हकदार थीं। एक बेटे के तौर पर, मैंने उन्हें दूसरा मौका देने का फैसला किया। मैंने अपनी मां को बताया कि आप सभी ने हमारे फैसले की कितनी सराहना की, और हम